COMMISSIONER OF COMMERCIAL TAXES * ODISHA, CUTTACK
1 9 NOV 2013

पत्रांक [illegible]कर,उत्तरा0/परिपत्र/प0–   /विधि–अनु0/2013–14

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादून:: दिनॉक : 29 अक्टूबर , 2013

:: <u>विज्ञप्ति</u> ::

(उत्तराखण्ड केन्द्रीय विक्रय कर नियमावली, 2006 के नियम 8 के अन्तर्गत)

1– केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत ब्यौहारियों को, ऑनलाईन दाखिल की गयी सावधिक विवरणी के अनुलग्नक 17(सी) के आधार पर, दिनांक 01 जुलाई, 2013 एवं उसके बाद के सम्व्यवहारों के लिए, केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रेशन एवं आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित फार्म 'सी' (घोषणा पत्र) को वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड की वैबसाईट **http//:comtax.uk.gov.in** के माध्यम से ई–जनरेट करने एवं A-4 साइज के कागज पर तीन प्रतियों में (मूल प्रति, द्वितीय प्रति एवं प्रतिपर्ण) प्रिन्ट आउट लेकर हस्ताक्षर सहित जारी करने के लिए, निम्न शर्तों एवं निर्देशों के अधीन उत्तराखण्ड केन्द्रीय विक्रय कर नियमावली, 2006 के नियम 8 के अन्तर्गत दिनांक 30–10–2013 से **प्राधिकृत किया जाता है।**

2– **दिनांक 01 जुलाई, 2013 एवं उसके बाद के सम्व्यवहारों के लिए,** विभाग द्वारा मुद्रित कराये गए फार्म 'सी', पुरानी व्यवस्था के अनुसार जारी किया जाना तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जायेगा।

3– **दिनांक 01 जुलाई, 2013 से पूर्व के सम्व्यवहारों के लिए,** विभाग द्वारा मुद्रित कराये गए फार्म 'सी' विज्ञप्ति/अधिसूचना सं0 3796/आयु0कर उत्तरा0/विधि–अनु0/2012–13 दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्धारित की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत जारी किए जाते रहेंगे।

4– फार्म 'सी' जनरेट करने हेतु कोई "प्रार्थना पत्र" अथवा फीस नहीं देनी होगी। ऑनलाईन submit की गयी सावधिक विवरणी का अनुलग्नक 17(सी) ही फार्म 'सी' जारी करने हेतु "प्रार्थना पत्र" मान लिया जायेगा।

5– ब्यौहारी का दायित्व होगा कि वह उन्हीं वस्तुओं के क्रय के लिए और क्रय के उन्हीं उद्देश्य के लिए फार्म जनरेट करे जिसके लिए वह केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र के द्वारा अधिकृत है।

6– जनरेट किए गए फार्म का unique serial number ऐसा होगा जैसा कि system जनरेट करे। जनरेट किए गए फार्म 'सी' एवं उसके अनुलग्नकों को स्वयं ब्यौहारी, फर्म एवं कम्पनी आदि के मामले में इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे हस्ताक्षर का नमूना कमिश्नर तथा कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

7– Website से फार्म जनरेट करने की प्रक्रिया वह होगी जैसा कि वाणिज्य कर विभाग की वैबसाईट पर "user manual" लिंक पर उपलब्ध है।

8– कर निर्धारण अधिकारी, यदि सन्तुष्ट है कि ऐसे कारण उपलब्ध है जिनके आधार पर किसी ब्यौहारी को फार्म 'सी' जारी किया जाना उचित नहीं है तो वह, किसी भी स्तर पर, ऐसे ब्यौहारी का फार्म 'सी'

453

जनरेशन Block कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे कारणों के समाधान हेतु, ब्यौहारी को अपने कर निर्धारण अधिकारी से संपर्क करना होगा।

9– किसी त्रैमास के सम्व्यवहार से संबंधित फार्म 'सी' को जनरेट करने के लिए यह शर्त होगी कि उस त्रैमास का रूपपत्र दाखिल हो और उस अवधि के कर, ब्याज एवं विलम्ब शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो।

10– जनरेट किए गए फार्म तथा उसके अनुलग्नक के प्रिन्ट में सिस्टम द्वारा जनरेटेड unique serial number के अलावा Bar Code, उत्तराखण्ड सरकार का Logo तथा वाणिज्य कर विभाग का Logo तथा Circular Electronic Seal होगी। विस्तृत विवरण अनुलग्नक में अंकित होंगे। फार्म एवं उसके अनुलग्नक की sample प्रति संलग्न है।

11– जनरेट किए गए फार्म को अन्य राज्य के विक्रेता व्यापारी अथवा विक्रेता के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड की Website अथवा TINXSYS (जो पूरे देश के dealers एवं सी0एस0टी0 फार्मों के Data का Repository है) के पोर्टल से सत्यापित किया जा सकेगा।

12– फार्म 'सी' केवल त्रैमास वार सम्व्यवहारों के लिए जनरेट हो सकेगा। एक फार्म 'सी' में दो अथवा दो से अधिक त्रैमास के सम्व्यवहारों को मिश्रित करना अनुमन्य नहीं होगा। परन्तु यदि विक्रेता द्वारा किसी माल का बीजक एक त्रैमास में जारी किया गया है और क्रेता द्वारा उस माल के क्रय को अगले त्रैमास में account for किया जा सका है तो ऐसे सम्व्यवहार के लिए अलग से फार्म जनरेट किया जा सकेगा।

13– किसी त्रैमास के प्रारम्भ के 9 माह की अवधि के अन्दर ही फार्म 'सी' जनरेट किया जा सकेगा।

14– यदि ब्यौहारी किसी त्रैमास के लिए फार्म 'सी' जनरेट करने का विकल्प लेता है तो उसे उस त्रैमास का संशोधित रूपपत्र दाखिल करने का अधिकार नहीं होगा, अतः फार्म 'सी' जनरेशन की बाधा रहित सुविधा प्राप्त करने के लिए ब्यौहारी से अपेक्षित है कि वह अपना रिटर्न एवं अनुलग्नक भरने में अत्यधिक सावधानी बरते और कोई भी Error अथवा Omission न करे।

15– उक्त के अलावा फार्म जनरेट करने की वे शर्तें भी होंगी जैसा कि विभागीय वैबसाईट पर इस हेतु प्रयोग किए गए सॉफ्टवेयर में निहित होगा।

संलग्नक–यथोक्त।

(सौजन्या)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

3476 दिनांक-29-10-2013

पृ0प0सं0 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— अपर मुख्य सचिव, वित उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

2— प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड।

3— सचिव, वित उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

4— डायरेक्टर सेल्स टैक्स, भारत सरकार नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली।

5— कमिश्नर सेल्स टैक्स / वैट / कामर्शियल टैक्स, भारत के समस्त राज्य एवं Union Territories.5

6— सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

7— निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय, देहादून।

8— समस्त एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर।

9— ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों / बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10— ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून / हल्द्वानी।

11— ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0 / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, / हरिद्वार / रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

12— श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर(क0नि0–3) देहरादून एवं Web-Information Officer को NIC एवं विभागीय Website पर Update करने हेतु।

13— आई0टी0–अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों / अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।

14— Insta vat Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13— आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई–400001 महाराष्ट्र।

15— National Law House बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

16— National Law and Management House 15 / 5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

17— Swastk Publication एस0ई–233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

18— Law Book Traders 10–नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।

19— डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।

20— अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।

21— प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।

22— दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।

23— प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी 81— मोती बाजार देहरादून।

24— The whole sale dealers Association 14— आढ़त बाजार देहरादून।

25— प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222 / 5 गांधी ग्राम देहरादून।

26— कार्यालय अधीक्षक / विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

27— शोध अनुभाग / स्थापना–अनुभाग मुख्यालय हेतु।

28— समस्त अनुभाग अधिकारी / अनुभाग।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

Form Serial No. :	**UKC111300000416**	**THE CENTRAL SALES TAX**	
Issuing State :	**UTTARAKHAND**	(Registration & Turnover) Rules, 1957	
Period :	**Q2(Jul-Sept)**	**FORM -C** FORMS OF DECLARATION	
Financial Year :	**2013-2014**	(See rule 12(1))	**ORIGINAL**

Office of Issue :	COMMERCIAL TAX DEHRADUN-AC I
Date of Issue :	06/11/2013
Name of Purchaser :	M/S Test DEALER
Address of the Purchasing Dealer in full :	TEST ADDRESS
Tin of the Purchasing Dealer :	**05000000022**
Effective Date of Registration :	22/03/2012

दिनांक 06/11/2013

To,

Name of the Seller	NITL pvt
Address of the Seller.......................	delhi
Name of the state of the Seller.........	Delhi
TIN/RC of the Seller........................	06258256897

Certified that the goods ordered for in our purchase order no.....Date......................and Supplied as per Bill/Cash Memo/Challan No.........................Dated...........................As stated below ....
Purchased from you as per Bill/Cash Memo /Challan No.........Dated ....as stated Below

Supplied under your Challan No ....Dated.............are for

Resale
Use in manufacturer/processing of goods for sale
Use generation / distribution of power
Packaging of goods for sale/resale

and are covered by my/our Registration Certificate [illegible] Dated.................issued under the Central Sales Tax Act,1956 .
It is further certified that I/we am/are registered Under [illegible] the said Act in the state of Uttarakhand in which the goods covered by this form are/will be delivered.

(The Above Details/Particulars are attached as Annexure "A")

This Form of [illegible] valid for **12421.00** **(Basic Value)**
[illegible] Thousand [illegible] Only

The above statements are true to the best [illegible]

Signature
Name of the person siging the declaration ....
Status of the person signing the declaration in relation to the dealer ....
(Form Issuing Dealer)

Note - To be furnished to the prescribed authority in accordance with the rules framed u/s 13(4)(e) by the appropriate Govt.) This form is generated/printed by the purchaser.
You are advised to verify contents of this form by giving Fom Serial No at URL http://comtax.uk.gov.in under "Verify Form C"

Form Serial No. :	UKC111300000416	**THE CENTRAL SALES TAX**	
Issuing State :	UTTARAKHAND	(Registration & Turnover) Rules, 1957	
Period :	Q2(Jul-Sept)	**FORM -C**	
Financial Year :	2013-2014	FORMS OF DECLARATION (See rule 12(1))	**DUPLICATE**

Office of issue :	Commercial Tax - DEHRADUN-AC I
Date of Issue :	06/11/2013
Name of Purchaser :	M/S Test DEALER
Address of the Purchasing Dealer in full :	TEST ADDRESS
Tin of the Purchasing Dealer :	05000000022
Effective Date of Registration :	22/03/2012

वाणिज्य कर विभाग
दिनांक 06/11/2013
उत्तराखण्ड

To,

Name of the Seller	NITL pvt
Address of the Seller.......................	delhi
Name of the state of the Seller.........	Delhi
TIN/RC of the Seller.......................	06258256897

Certified that the goods ordered for in our purchase order no.....Date......................and Supplied as per Bill/Cash Memo/Challan No.........................Dated...........................As stated below ....
Purchased from you as per Bill/Cash Memo /Challan No.........Dated ....as stated Below

Supplied under your Challan No ....Dated.....[illegible]

Resale
[illegible] manufacturer/processing of goods for sale
[illegible] use [illegible]ration / distribution of power
[illegible]ckagi[illegible] goods for sale/resale

and are covered by my/[illegible] Registration Certifica[illegible]ated...............Issued under the Central Sales Tax Act,1956 .
It is further certified t[illegible] we [illegible]/are registered Under S[illegible] of the said Act in the st[illegible] of [illegible]rakhand in which the goods covered [illegible] this fo[illegible] are/will be delivered.

([illegible] Details/Particulars are attached as Annexure "A")

This Form of [illegible] for [illegible]421.00 **(Basic Va[illegible]**
[illegible] **One Only**

The above statements are true to the bes[illegible]

Signature
Name of the person siging the declaration ....
Status of the person signing the declaration in relation to the dealer ....

(Form Issuing Dealer)

Note - To be furnished to the prescribed authority in accordance with the rules framed [illegible] by the appropriate Govt.) This form is generated/printed by the purchaser. You are advised to verify contents of this form by giving Form Serial No at URL [illegible] under "Verify Form C"

449

Form Serial No. : **UKC111300000416**
Issuing State : **UTTARAKHAND**
Period : **Q2(Jul-Sept)**
Financial Year : **2013-2014**

THE CENTRAL SALES TAX

(Registration & Turnover) Rules, 1957

FORM -C

FORMS OF DECLARATION
(See rule 12(1))

COUNTER FOIL

Office of issue :	Commercial Tax - DEHRADUN-AC I
Date of Issue :	06/11/2013
Name of Purchaser :	M/S Test DEALER
Address of the Purchasing Dealer in full :	TEST ADDRESS
Tin of the Purchasing Dealer :	**05000000022**
Effective Date of Registration :	22/03/2012

वाणिज्य कर विभाग
दिनांक
06/11/2013
उत्तराखण्ड

To,

Name of the Seller	NITL pvt
Address of the Seller.......................	delhi
Name of the state of the Seller.........	Delhi
TIN/RC of the Seller.......................	06258256897

Certified that the goods ordered for in our purchase order no.....Date......................and Supplied as per Bill/Cash Memo/Challan No.........................Dated............................As stated below ....
Purchased from you as per Bill/Cash Memo /Challan No.........Dated ....as stated Below

Supplied under your Challan No ....Dated.........[illegible]are for

Resale
[illegible] manufacturer/processing of goods for sale
Use [illegible]tion / distribution of power
[illegible] goods for sale/resale

and are covered by my/[illegible] Certificat[illegible] Dated.............[illegible] under the Central Sales Tax Act,1956 .
It is further certified [illegible]/we [illegible]/are registered Under [illegible] of the said Act in the [illegible] of [illegible]rakhand in which the goods covered [illegible] are/will be delivered.

[illegible] Above Details/Particulars are attached as Annexure "A")

This Form of [illegible] valid for [illegible] **12421.00** **(Basic Valu[illegible]**
[illegible] **One Only**

The above statements are true to the be[illegible]

Signature
Name of the person siging the declaration ....
Status of the person signing the declaration in relation to the dealer ....

(Form Issuing Dealer)

Note - To be furnished to the prescribed authority in accordance with the rules framed u/s 13(4)(e) by the appropriate Govt.) This form is generated/printed by the purchaser. You are advised to verify contents of this form by giving Fom Serial No at URL http://comtax.uk.gov.in under "Verify Form C"

Form Serial No. : **UKC111300000416**

Issuing State : **UTTARAKHAND**

Period : **Q2(Jul-Sept)**

Financial Year **2013-2014**

ANNEXURE-"A"

(Transaction Detail in relation to Form-C)

Name of the Seller	NITL pvt
TIN/RC of the Seller........................	06258256897
Name of Purchasing and Issuing Dealer...	M/S Test DEALER
Tin of the Purchasing Dealer	05000000022

Invoice Details :

SN	PO No.	PO Date	Invoice No.	Dated	Amt Exlc Tax	Tax Amt	Amt With Tax	Oth Charges	Name of goods	Purpose
1	23	08/08/2013	45	08/08/2013	5656.00	77.00	5733.00	0.00	iron	FOR RESALE
2	35	09/08/2013	344	09/08/2013	6765.00	33.00	6793.00	0.00	wheel	FOR RESALE
Total					**12421.00**	**110.00**	**12531.00**	**0.00**		

Net Value Of Central Purchase :

	Basic Value	Tax Amount	Other Charges	Total
Net Value	**1242[illegible]**	**110.00**	**[illegible]**	**12531.00**

The above statements are true [illegible] est of kno[illegible]d belief.

Signature

Name of the person siging the declaration ....

Status of the person signing the declaration
in relation to the dealer ....